झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा | सप्तम्(शीतकालीन) सत्र

संख्या-03

सोमवार, दिनांक-20 दिसम्बर, 2021 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.57 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व दिनों की भाँति भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त पोस्टर के साथ सदन की वेल में आकर जे.पी.एस.सी. की परीक्षा को रद्द किये जाने तथा इसके अध्यक्ष को बर्खास्त करने की माँग करते हुए नारेबाजी करने लगे। आसन द्वारा उन्हें बार-बार अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया गया, लेकिन उनके द्वारा नारेबाजी की जाती रही।

1.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-29

(क) उत्तरित कुल-02,	अ० सू०-35, श्री समीर कुमार मोहन्ती,	स०वि०स०,
	अ० सू०-37, श्री राजेश कच्छप,	स०वि०स०।
(ख) अपृष्ट मात्र-01,	अ० सू०-36, श्री भानु प्रताप शाही,	स०वि०स०।
(ग) अनागत कुल-26,	अ० सू०-38 से लेकर अ०सू०-63 तक।	

(इस क्रम में आसन के अनुरोध पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये तत्पश्चात् माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री भानु प्रताप शाही एवं माननीय सदस्य, श्री सुदेश कुमार महतो ने आसन की अनुमति से सदन नेता द्वारा जे.पी.एस.सी. के मामले पर सदन में वक्तव्य दिलाये जाने की माँग की जाने लगी तदुपरांत भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपनी माँगों के समर्थन में पुनः सदन को वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.27 बजे पूर्वा० से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

उक्त परिस्थिति में तारांकित प्रश्न के साथ-साथ मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं लिये जा सके।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन नेता की उपस्थिति की माँग को लेकर वेल में आ गये।

2.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा एवं श्री भानू प्रताप शाही द्वारा राज्य में लागू की जा रही नियोजन नीति,. डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा जंगली हाथियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाये जाने, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री अमित कुमार मण्डल एवं श्री मनीष कुमार जायसवाल द्वारा

जे.पी.एस.सी. की प्रारम्भिक परीक्षा मे कथित अनियमितता के आरोप सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं एवं माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा एक से अधिक विषय पर दी गयी सूचना को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया।

3.शून्यकाल की सूचनायें:-

नियमानुसार आज दिनांक- 20.12.2021 के लिये प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने का निदेश आसन द्वारा दिया गया।

4.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ जिसमे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी वस्तुस्थिति को विस्तार से स्पष्ट किया गया।

(शोरगुल)

इस क्रम मे माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार ने झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक, 2021 की धारा-8(सी) मे पश्चिम बंगाल राज्य की तर्ज पर संशोधन जोड़ने का आग्रह किया।

5.वित्तीय कार्य:-

आसन से पुकारे जाने पर योजना सह वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ॰ रामेश्वर उराँव द्वारा द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची मे सम्मिलित मांग संख्या-4 "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" से सम्बन्धित मांग प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

6.आसन से सूचना:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सप्तम् (शीतकालीन) सत्र के दौरान दोपहर के भोजन की व्यवस्था सभी माननीय सदस्यों के लिए किये जाने सम्बन्धी सूचना आसन द्वारा दी गयी और अनुरोध किया गया कि वे इसमें सम्मिलित होने की कृपा करें।

अन्तराल

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

7.वित्तीय कार्य (क्रमांक-5 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर चर्चा मे भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी ने चर्चा प्रारम्भ की।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने राज्य सरकार द्वारा **Blood** पर टैक्स लगाये जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए आसन का ध्यान आकृष्ट किया।)

इसके उपरांत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

श्री लोबिन हेम्ब्रम,

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल ने हाथियों द्वारा रामवृक्ष भुईंया की हत्या किये जाने, माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा गौशाला को अनुदान दिये जाने, श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्या द्वारा रामगढ़ जिले में बिजली की कटौती किये जाने तथा माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा द्वारा धनबाद की राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी की कलकत्ता में हुई हत्या/आत्महत्या की जाँच हेतु आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

(इस अवसर पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जे.पी.एस.सी. द्वारा ली गयी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता के विरोधस्वरूप सदन का परित्याग किया।)

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री बंधु तिर्की,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री सरयू राय,
श्री प्रदीप यादव,

(इस अवसर पर सभा की सहमति से सदन का समय सरकारी उत्तर पर्यन्त विस्तारित किया गया।)

श्री सुदिव्य कुमार,
श्री अमित कुमार यादव एवं
डॉ० इरफान अंसारी।

तदुपरांत द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची मे सम्मिलित मांग संख्या-4 ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)'' मे सम्मिलित मांगे बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबन्द) के माध्यम से सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुई तथा माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

8.विधायी कार्य:-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उरॉव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम मे विधेयक के खण्ड-02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक-2021''** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-21.12.2021 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

रॉंची,
दिनांक- 20 दिसम्बर, 2021 ई०।

सैय्यद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।